ओ०पी० सिंह
आई०पी०एस०

महानिदेशक

डीजी परिपत्र संख्या– 30 /2019
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
टावर–2 पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226001
दिनांक: जुलाई 15 ,2019

विषय: छल व कूटरचित अभिलेखों के आधार पर भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तथा पंजीकृत अभियोगों की विवेचना प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि भू–माफियाओं के चिन्हीकरण एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या–34/2017 द्वारा आप सभी को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में अभी भी Land Grabbing से सम्बन्धित अभियोगों में त्वरित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जा रही है तथा ऐसे अभियोगों की विवेचना में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण परिणाम प्राप्त न होने के आधार पर अभियोगों की विवेचनायें लम्बे समय तक प्रचलित रखी जा रही हैं। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या–30394(एम/बी)/2017, कुंवर शोभित सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं रिट याचिका संख्या–1199 (एम/बी)/2018, कुंवर शोभित सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में छल व कूटरचना द्वारा भूमि हड़पने के प्रयास के प्रकरण में विवेचनाओं में विलम्ब पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं :–

"The Court has experience that as and when cases of land grabbing come in reference to forgery, police hardly shows promptness to complete the investigation and for that even to arrest the accused. In absence of it, even interrogation cannot be made.

Taking into consideration the over all facts of this case and otherwise the practice adopted by the police in such cases, we need to find out how such matters are monitored by the police administration."

3. अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जबरदस्ती भूमि हड़पने, कपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि पर कब्जा करने सम्बन्धी प्रकरणों में शीघ्र अभियोग पंजीकृत कराते हुए अभियोग की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0

Scanned by CamScanner